वित्तीय स्वीकृति

संख्या-48/2015/2246/52-3-15-बजट(26)/15

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनागत)

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/10-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 के प्रस्तर-2(12) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति के वितरण हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 01,25,00,00,000/- (रू0 एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान स्वरूप देय धनराशि कोषागार के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2016 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जिन विद्यालयों/मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत हो उनमें छात्रवृत्ति/ शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये उन विद्यालयों/मदरसों के छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियमसंग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2015-16 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की शुल्कप्रतिपूर्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0305-अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं को अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के समान विश्वविद्यालय/ संस्थाओं में प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति-21-छात्रवृत्तिया और छात्र वेतन के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी 1-925/10-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

<u>संख्या-2246(1)/52-3-15-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद

3-मुख्य कोषाधिकारी, केसरबाग, लखनऊ

4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ /वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ

5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -1

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in